क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, कोटपूतली–बहरोड़
Rajasthan State Pollution Control Board, Kotputli-Behror
(Regional Office)

क्रमांकः–क्षे.का. / रा.प्र.नि.मं. / कोट–बहरोड / 26–27 / सामा–09 / 1315-1317 दिनांकः– 03.08.2026

निविदा / बोली सूचना संख्या –05 / 2026–2027

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटपूतली–बहरोड द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 की शेष अवधि के लिये निम्नलिखित सेवायें उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत बोलीदाता / संवेदको / फर्मो से निम्नानुसार निविदायें आमंत्रित की जाती हैः–

क्र. स.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित राशि (लाखो मे)	बोली प्रपत्र शुल्क	अमानत राशि	बोली प्रपत्र जमा की अन्तिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र खोलने की तिथि व समय
1	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन–3)	8.00	500 /	16000 / –	12.08.2026 दोपहर 01.00 बजें	12.08.2026 दोपहर 02.00 बजें
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–2					
3	मल्टीटास्किंग स्टॉफ (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)–1					
4	सफाई कर्मचारी–1 (अंशकालीन)					
5	क्षेत्र सहायक–1					
6	प्रयोगशाला परिचारक–1					

निविदा प्रपत्र एंव अन्य शर्ते www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड प्रपत्र उपयोग में लेने पर निविदा प्रपत्र शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक जो (Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Kotputli-Behror के नाम से (Payable at neemrana) प्रस्तुत करना होगा। अमानत राशि 16000 / – का डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटपूतली–बहरोड के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। सील बंद लिफाफे पर **"मानव संसाधन उपलब्ध हेतु निविदा"** स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। कार्यालय द्वारा निर्धारित तकनीकी व वित्तीय बोली हेतु प्रपत्र, पृथक–पृथक लिफाफे में रखकर प्रस्तुत करने पर ही निविदा मान्य होगी। उपापन समिति द्वारा बोली स्वीकार करने / रद्द करने का निर्णय अंतिम होगा।

(राजकुमार सेहरा)
क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय अधिकारी
राज० राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड

क्रमांकः–क्षे.का. / रा.प्र.नि.मं. / कोट–बहरोड / 26–27 / सामा–09 / दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रभारी अधिकारी, आईटी शाखा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा को सम्बन्धित वेब साईट पर आज ही अपलोड करवाने का श्रम करावे।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटपूतली–बहरोड ।

(राजकुमार सेहरा)
क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय अधिकारी
राज० राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड

पता : लक्ष्मी नारायण दुर्गा जी मंदिर के पास, एन.एच.–48, नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड–301705
Email:- rorpcb.bkt@gmail.com Website : www.environment.rajasthan.gov.in

तकनीकी बोली प्रपत्र
(लिफाफा न. 01)

कार्य का नाम – " कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मषीन)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी /क्षेत्र सहायक/प्रयोगशाला परिचारक/मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ(चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) एवं सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) निविदा"

1. संदर्भ : क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. कोटपूतली–बहरोड की बोली सूचना संख्या – .... दिनांक ....
2. बोलीदाता /संवेदक का नाम :– ....
3. डाक का पता :– ....
....
4. फोन/मोबाईल नं. :– ....
5. ई–मेल :– ....
6. बैंक का नाम :– ....
आईएफएससी कोड :– ....
खाता संख्या :– ....
7. किसको सम्बोधित किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म, कोटपूतली–बहरोड
8. बोली शुल्क रूपये : (1) 500/– रू (पांच सौ मात्र)
(2) जमा रसीद संख्या .... दिनांक.................. /
डीडी क्रमांक .... दिनांक ....राषि...............
9. बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार हैं तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
10. '"कम्प्यूटर मय ऑपरेटर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी /क्षेत्र सहायक/प्रयोगशाला परिचारक/ मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) एवं सफाई कर्मचारी (अंषकालीन) हेतु निविदा" कार्य हेतु दरें प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई हैं।
11. अमानत राशि 16000/– का डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटपूतली–बहरोड के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है।
डी.डी. न0.................... दिनांक..................... बैंक का नाम...
12. संलग्न प्राईस शिड्यूल मे वर्णित दरे बोली स्वीकृति से दिनांक **31.03.2027** तक मान्य होगी इस अवधि को मण्डल मुख्यालय, जयपुर से प्राप्त स्वीकृति के पश्चात् पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया जा सकेगा।
13. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ संलग्न करनी होगीः–

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				

क्षेत्रीय अधिकारी
राज0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड

5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनषिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 या एमएसएमई एक्ट 2006 के अन्तर्गत				
7	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने सम्बन्धी 50 रू.के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
8	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायाप्रति				
9	विगत वर्ष 2024–25 का वार्षिक टर्न ओवर/बैलेंस शीट की सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रति				
10	Bank Solvency Certificate				

14. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत वित्तीय वर्षो में किसी भी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/राजकीय उपक्रम/राजकीय कार्यालय में न्यूनतम 01 वर्ष का " कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/क्षेत्र सहायक/प्रयोगशाला परिचारक/मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)/सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) " एक ही समयावधि में निरंतर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर, संतोषजनक सेवा प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सभी दस्तावेज स्वहस्ताक्षरित बोली दस्तावेजों के साथ आवष्यक रूप से लगाना होगाः–

क्र. सं.	विभाग/संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये" कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/क्षेत्र सहायक/प्रयोगशाला परिचारक/मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) एवं सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) हेतु निविदा" का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध करवाये "कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/क्षेत्र सहायक/प्रयोगशाला परिचारक/मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) एवं सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) हेतु निविदा" की समयावधि	संबंधित विभाग /संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन
1				
2				
3				
4				

15. मै/हम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा जारी की गई बोली/निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक.............. दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।

16. संवेदक /बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील
नाम ....

......

मोबाईल न. –

क्षेत्रीय अधिकारी
राज० राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड़

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, कोटपूतली–बहरोड़
Rajasthan State Pollution Control Board, Kotputli-Behror
(Regional Office)

Annexure-II

प्राईस–षिड्यूल
(लिफाफा न. 02)
(वित्तीय बोली प्रपत्र)

कार्य का नाम – "कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी /क्षेत्र सहायक/प्रयोगशाला परिचारक/मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) एवं सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) हेतु निविदा"

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिषत	ESI दर प्रतिषत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राषि/प्रस्तुत दर (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	कुल राषि रू
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	श्रमिकों की संख्या (प्रति ईकाई)	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर				
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन–3)	उच्च कुशल	12000 (Fix)	1		13.00 (नियोक्ता)	3.25 (नियोक्ता)		
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–2	अकुशल	10000 (Fix)	1		13.00 (नियोक्ता)	3.25 (नियोक्ता)		
3	मल्टीटॉस्किंग स्टॉफ (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) –1	अकुशल	10000 (Fix)	1		13.00 (नियोक्ता)	3.25 (नियोक्ता)		
4	सफाई कर्मचारी–1 (अंषकालीन)	अकुशल	3705	1		Not applicable	Not applicable		
5	क्षेत्र सहायक–1	कुशल	8034	1		13.00 (नियोक्ता)	3.25 (नियोक्ता)		
6	प्रयोगशाला परिचारक–1	कुशल	8034	1		13.00 (नियोक्ता)	3.25 (नियोक्ता)		

1. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 4, 6 व 7 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा केवल स्तम्भ संख्या 5, 8, एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।
2. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राषि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
3. कॉलम सं0 08 में देय राषि न्यूनतम 1/– रूपये से कम नही भरी जावे। राषि शून्य या ऋणात्मक या 1/– रूपये से कम अंकित होने पर निविदा को अस्वीकृत कर दिया जावेगा। राषि पूर्णाक में ही भरी जावे।
4. न्यून्तम का निर्धारण कुल लागत कॉलम सं0 09 के आधार पर किया जावेगा।

पता : लक्ष्मी नारायण दुर्गा जी मंदिर के पास, एन.एच.–48, नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड–301705
Email:- rorpcb.bkt@gmail.com Website : www.environment.rajasthan.gov.in

क्षेत्रीय अधिकारी
रा0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड़

5. क्रम संख्या 1,2 व 3 में मासिंक पारिश्रमिक (फिक्स मानदेय) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1(632)/राप्रनिमं/स्था./3283–3289 दिनांक 08.11.2024 को निर्धारित (फिक्स) किया गया है।
6. सेवा शुल्क में Computer, Printer, UPS का किराया सम्मिलित होगा। (उच्च कुशल)

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
नाम –

क्षेत्रीय अधिकारी
राज० राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड़

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, कोटपूतली–बहरोड़
Rajasthan State Pollution Control Board, Kotputli-Behror
(Regional Office)

निविदादाता द्वारा धोषणा पत्र

50 रू.के Non Judicial stamp पर शपथ पत्र

मै/हम धोषणा करते हैं कि मै/हमने बोली की समस्त जानकारी/षर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै /हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है एंव वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है। वाछिंत मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा RTPP अधिनियम की धारा 46 एंव RTPP नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (debarred) नहीं हैं।

यदि यह धोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति या अन्य जमा राषि को पूर्ण रूप से समपहत कर लिया जाएगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद कर दिया जाऐ।

निविदादाता के हस्ताक्षर एंव मोहर
नाम
पूर्ण पता
मो.नम्बर

क्षेत्रीय अधिकारी
राज० राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड़

General Terms & Conditions of Bid & Contract:-

कार्य का नाम – "कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी /मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) / /क्षेत्र सहायक / प्रयोगशाला परिचर एवं सफाई कर्मचारी (अंषकालीन) हेतु निविदा"

Important Instructions :- The law relating to procurement " The rajasthan transparency in public procurement act, 2012" {hereinfafter called the act} and the rajasthan transparency in public procurement rules, 2013" {hereinfafter called the rules} under the said act have come into force which are available on the website of state public procurement portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves will the provisions of the act and the rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the procision of the act and the reles and this bidding document, the provision of the act and the rules shall prevail

1. बोलीदाता को बोलियॉ दो पृथक–पृथक लिफाफे जिसमें प्रथम लिफाफा जिस पर "जॉब बेसिस आधार पर मानव संसाधन हेतु निविदा" के लिए तकनीकी बोली अंकित हो मय बोली अमानत राषि 16000/– का डीडी क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूपण नियन्त्रण मण्डल कोटपूतली–बहरोड के नाम देय बोली के साथ आवष्यक है। तकनीकी बोली में वर्णित दस्तावेज, जिसमें वर्णित समस्त शर्तो के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किये गये हो/होने चाहिए। द्वितीय लिफाफा जिस पर "कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी)/क्षेत्र सहायक/प्रयोगशाला परिचारक एवं सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) हेतु निविदा" के लिए वित्तीय बोली अंकित हो मे प्राईस शिड्यूल में दरें अंकित कर प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी एवं वित्तीय बोलियो के लिफाफे एक बडे लिफाफे में बन्द कर लिफाफे पर "कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन)/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी /क्षेत्र सहायक/प्रयोगशाला परिचारक / मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ एवं सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) हेतु निविदा" अंकित कर प्रस्तुत करने होंगे।
2. बोलीदाता को इस बोली आमंत्रण सूचना प्रपत्र के साथ संलग्न Annexure I & II अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।
3. तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
4. कार्य के समय लागू जी0एस0टी0 की दरे अतिरिक्त देय होगी।
5. बोलियां उचित रूप से मोहर बंद लिफाफे में प्रेषित की जायेगी। तकनीकी बोली प्रपत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 13 में 1 से 10 तक के प्रमाण पत्र बैक खाता विवरण, बोली प्रपत्र एंव शर्तें मय हस्ताक्षरित रखी जावेगी।
6. बोलीदाता को अपने बैंक खाते का विवरण मय बैंक का नाम ,ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड एंव बैंक खाता संख्या संलग्न करना होगा।
7. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप से क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटपूतली–बहरोड को अविलम्ब संसूचित किया जावेगा तथा इस परिवर्तन से संविदा/बोली के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।
8. संविदा के संबंध में नई फर्म के तब तक कोई नया/नये भागीदार स्वीकार नही किया जायेगा/किये जावेगे जब तक की वह/वे समस्त निबन्धों और शर्तो का पालन करने हेतु सहमत न हों और क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटपूतली–बहरोड के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दें। अभिस्वीकृति हेतु सफल बोलीदाता की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जावेगा और उससे वे सभी आबद्ध होगें और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
9. बोली प्रपत्र स्याही से या टंकण से भरे जावेंगे। पेन्सिल से भरी किसी भी बोली पर विचार नही किया जावेगा। बोलीदाता प्रपत्र एवं शर्तो अथवा अन्य संबंधी दस्तावेजो के सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करेगा और मोहर अंकित करेगा, जो उसकी शर्तें स्वीकार करने का प्रमाण होगा। कार्य अनुभव के लिये संतोषजनक प्रमाण–पत्र के अभाव में अनुभव मान्य नही होगा।
10. दरें समान प्राप्त होने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में कार्य अनुभव, टर्न ऑवर एवं अन्य कार्य से सम्बन्धित कार्य/अनुभव को वरियता दी जावेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा०प्र० राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड

11. दरे अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जावेगी। इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या उपरिलेखन नही किया जावेगा। ऐसा कोई है तो बोलीदाता को इस पर अपने लघु हस्ताक्षर मय दिनांक करने होंगे, अन्यथा बोली निरस्त कर दी जावेगी।
12. दरें बोली स्वीकृती की दिनांक से **31.03.2027** तक के लिए वैध एवं मान्य होगी। इस अवधि को मण्डल मुख्यालय जयपुर से प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् एवं के आधार पर पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।
13. राजस्थान लोक उपापन में पादर्षिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एंव इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, प्रपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।
14. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
15. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
16. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राषि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राषि के विवरण बाबत् संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
17. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
18. निविदादाता /संस्था द्वारा आपराधिक चरित्र/आपराधिक प्रकृति/न्यायालय में विचाराधीन वाद/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्व दोषी सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
19. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिष्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राषि का भुगतान किया जा सकेगा।
20. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान षामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राषि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
21. संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवदेक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helpling नम्बर एवं संवेदक/ बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की षिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
22. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राषि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
23. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राषि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/ बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एंव सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
24. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिषा–निर्देषों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
25. यदि संवेदक/बोलीदाता एंव कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

क्षेत्रीय अधिकारी
राज० राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड़

कोटपूतली–बहरोड न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

26. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा।
27. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में / संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने / ई.एस. आई. करवाने / सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक / बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
28. यदि संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवष्यक होने की स्थिति में संवेदक / बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।
29. यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विषिष्ट प्रकृति के मद्देनज़र किसी निर्धारित प्रतिषत में कोई अतिरिक्त राषि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राषि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिषत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा। उक्तानुसार विषिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिषत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक / बोलीदाता का होगा।
30. "कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / क्षेत्र सहायक / प्रयोगशाला परिचारक/ मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ एवं सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) की संख्या में कमी / वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गांरटी नहीं दी जायेगी एंव उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। "कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) / क्षेत्र सहायक / प्रयोगशाला परिचारक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) एवं सफाई कर्मचारी (अंषकालीन) की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक / बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेषित समय एवं स्थान पर कर्मचारी उपलब्ध करवाना होगा।
31. खुली बोली में सफल बोलीदाताओं / संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति कार्मिक स्थिति के क्रम में अति महत्वपूर्ण प्रकृति / अपेक्षित संख्या में कर्मचारी उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
32. अनुबंधित बोलीदाता / संवेदक द्वारा संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोट करता / कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कर्मचारी कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संषोधित की जायेगी।
33. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन कर्मचारी उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमते इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।
34. बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
35. निविदा की पात्रता हेतु टेण्डर कॉस्ट के सामान 08.00 लाख की नवीनतम बैंक साल्वेंसी देना अनिवार्य होगा।
36. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-Let) पर नहीं देगा।
37. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह कार्यादेश में लिखित दिनांक से कर्मचारी उपलब्ध करवायेगा।।
38. मूल्यांकन की कसौटी– खुली बोली में सफल / क्वालिफाइड बोलीदाता / संवेदक की न्यूनतम कीमत व दस्तावेजो के आधार पर उपापन कमेटी द्वारा बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।
39. बोलियों का अपवर्जन :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
40. अमानत राशि 16000/– का डी.डी. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटपूतली–बहरोड के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
41. सफल निविदादाता कार्य पर जिन कर्मियों को सविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एव पते मय दो फोटो तथा शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रो की प्रतियां कार्यदेश जारी होने की तिथि के पांच

क्षेत्रीय अधिकारी
राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड

दिनो के अन्दर–अन्दर कार्यालय मे प्रस्तुत करने होगें। अनुबन्ध की अवधि मे यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम पता मय फोटो तुरन्त ही प्रस्तुत करने होगें।

42. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security):–

(अ) **बोली आंमत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेष पत्र दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेष की रकम की पांच प्रतिषत राषि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटपूतली–बहरोड के नाम पर जमा करानी होगी एवं राषि 500 रू. के नॉन ज्यूडिषियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस. आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।**

(ब) **सफल बोली लगाने वाले की दषा में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राषि 07 दिवस में कार्यालय में जमा करानी होगी।**

(स) **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राषि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।**

43. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राषि का समपहरण Security Forfeiture of Work Performance Deposit :–कार्य सम्पादन प्रतिभूति राषि का पूर्ण या आंषिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लघंन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेष के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राषि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में प्लेसमेंट एजेंसी की निविदाऐं स्वीकार नही होगी।उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

44. **भुगतानः–**

(प) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

(प) संवेदक द्वारा प्रस्तुत बिलो का भुगतान मण्डल मुख्यालय से प्राप्त बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

45. बोली के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटपूतली–बहरोड से सम्पर्क किया जा सकता है।

मै/हम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटपूतली–बहरोड द्वारा जारी की गई बोली सूचना........... .... दिनांक......................में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रो (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमे उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण मे हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त बोली सूचना की समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते है कि मेरे/हमारे द्वारा बिड के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजो की प्रमाणिकता की जॉच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक एवं मौलिक रूप से सही है। यदि बिड प्रक्रिया या बिड प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजो की प्रमाणिकता असिद्व होती है तो इसके लिए मै/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूँगा/रहेगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बिड/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्व कानून/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

उपरोक्त शर्ते मेरे द्वारा पढ़ ली गई है जो मुझे स्वीकार है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर नाम व पता

क्षेत्रीय अधिकारी
राज० राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, कोटपूतली–बहरोड़
Rajasthan State Pollution Control Board, Kotputli-Behror
(Regional Office)

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर का कार्य करने हेतु कार्य की षर्ते

1.

(i) कम्प्यूटर मय ऑपरेटर को विन्डोज/लाइनेक्स एन्वायरमेन्ट कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मषीन) ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इन्टरनेट का ज्ञान/अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अग्रेजी की टाईपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है।

(ii) कर्मी स्वस्थ एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिये।

(iii) कम्प्यूटर मय ऑपरेटर 12वी पास होना अनिवार्य है।

2. मशीनों का विवरणः–निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार होना आवश्यक/अनिवार्य है–

Computer System – includes the following items with specifications :

a. Computer-Intel Core i3/Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard keyboard, Optical Moue, Standard Serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS office, Responsibility of Software License will be borne by the contractor.

b. Printer : Black and white laser printer with speed 15 PPM or more for specific needs, Dot Matrix /inkjet printer may be taken in the lieu of laser printer.

UPS:- Online/Offline UPS (Double Battery) for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

3. निविदादाता एजेन्सी का सर्विस टैक्स/जीएसटी हेतु रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ इसके प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है

4. यदि कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाये सन्तोषप्रद नही पायी जाती है तो निविदादाता को तुरन्त इसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा ।

5. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन 9.30 बजे से सायः 6 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।

6. कार्यालय में कार्य की अत्यावष्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिये अलग से कोई भुगतान नही किया जायेगा।

7. सफल निविदादाता कार्य पर जिन कर्मीयों को सविदा के आधार पर लगाय़ेगा उनके नाम एव पते मय दो फोटो तथा शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रो की प्रतियां कार्यदेश जारी होने की तिथि के पांच दिनो के अन्दर–अन्दर कार्यालय मे प्रस्तुत करने होगें। अनुबन्ध की अवधि मे यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम पता मय फोटो तुरन्त ही प्रस्तुत करने होगें।

8. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

9. किसी भी तरह के न्यायिक विवादों का न्याय क्षेत्र, कोटपूतली–बहरोड होगा।

10. किसी भी माह में राजकीय अवकाशो के अतिरिक्त चार दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नही रखा जावेगा। इससे अधिक कम्प्यूटर बंद रहने पर 200/– प्रतिदिन प्रति कम्प्यूटर की दर से कटौती की जायेगी।

पता : लक्ष्मी नारायण दुर्गा जी मंदिर के पास, एन.एच.–48, नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड–301705
Email:- rorpcb.bkt@gmail.com Website : www.environment.rajasthan.gov.in

क्षेत्रीय अधिकारी
राज० राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड

11. निविदादाता द्वारा निविदा सम्पादन के पष्चात् निविदा में अंकित/उल्लेखित कम्प्यूटर, प्रिन्टर्स, यूपीएस इत्यादि कार्यालय में उपलब्ध नही कराये जाने की स्थिति में राषि 500/– प्रतिदिन प्रति कम्पयूटर की दर से पैनल्टी लगाई जायेगी।

12. यदि निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मियों द्वारा किसी प्रकार के कानूनी पहलू अथवा न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो निविदादाता संस्था/फर्म ही उसके लिये उत्तरदायी होगी। प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल उपरोक्त दायित्वों के लिये किसी भी प्रकार उतरदायी नही होगा।

13. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के नियमानुसार समय–समय पर जारी की जाने वाली अन्य शर्ते मान्य होगी।

14. संवेदक द्वारा कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये बिलो में लगाई गई जीएसटी को जमा कराने के बाद निर्धारित प्रोफार्मा में जीएसटी जमा की डिक्लियरेशन हर माह के बिलो के साथ हस्ताक्षरशुदा संलग्न करना आवश्यक होगा।

15. प्रतिकूल परिस्थतियो तथा अपरिहार्य कारण होने की स्थिति में कार्यालय की आवश्यकतानुसार योग्य बोलीदाता का कार्य संतोषजनक नही होने की स्थिति पर द्वितीय स्थान प्राप्त फर्म द्वारा सहमति देने पर प्रथम योग्य बोलीदाता के स्थान पर उपापन समिति सदस्यो के सुझाव पर सक्षम स्तर से द्वितीय फर्म को अनुमोदित कर कार्यादेश जारी किया जा सकता है।

16. मण्डल मुख्यालय, जयपुर द्वारा भविष्य में यदि संविदा कार्मिको की दरें संषोधित की जाती है तो मान्य होगी।

17. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी को होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
नाम मैसर्स...
....
पताः..
....

क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
कोटपूतली–बहरोड़

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ का कार्य सम्पादन करने हेतु कार्य की शर्ते

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार (सुबह 9:30 – सांय 6.00 बजे) ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवष्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिये अलग से कोई भुगतान नही किया जायेगा।
2. किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ के कार्य छोडने की दषा में निविदादाता को अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा, अन्यथा प्रतिदिन 200 रूपये की दर से अलग से शास्ती भी वसूल की जावेगी जिसे सेवाप्रदाता को स्वंय वहन करना होगा।
3. राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेष/नियम निविदादाता को मान्य होगें।
4. सेवाप्रदाता एजेंसी द्वारा जॉब बेसिस पर उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा अनुबंध की समाप्ति होते ही कार्मिको की कार्य अवधि स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ से सामान्यतः कार्यालय में स्थापित टेबल, कुर्सी, बैंच, अलमारी आदि की सफाई करना, अधिकारियो एवं कर्मचारियो हेतु पीने का पानी भरना, कार्यालय की पत्रावलियों, फाईलो, रिकार्ड इत्यादि को आदेषानुसार लाना एवं ले जाना, कार्यालय फर्नीचर को व्यवस्थित रखना एवं कार्यालय के अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा दिये गये कार्यो की पालना करना एवं प्रभारी द्वारा बताये गये अन्य कार्य करने होगे।
6. निविदादाता/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्ति की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रो के संलग्न करेगा।
7. निविदादाता /संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ की आयु 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए तथा 10वी पास होना अनिवार्य है।
8. निविदादाता /संस्था द्वारा आपराधिक चरित्र/आपराधिक प्रकृति/न्यायालय में विचाराधीन वाद/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्व दोषी सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जावेगा इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नही करने की स्थिति में संविदा कार्मिक का भुगतान संवेदक को नही किया जायेगा।
9. निविदादाता /संस्था को राज्य मण्डल के अवधाता प्रषासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
10. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तो का अल्लघंन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है ।
11. निविदादाता /संस्था नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक सम्बन्धी विवाद मे दायित्व ठेकेदार/संस्था को होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नही होगा । निविदादाता /संस्था द्वारा नियोजित श्रमिको के सम्बन्ध मे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु निविदादाता /संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा।
12. यदि अनुबंध के सम्बन्धित कार्यो के सम्पादन मे किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तो/कार्यालय में शास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यो में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आरोपित की जा सकेगी ।
13. निविदादाता द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा कार्य प्रतिभूति राषि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।
14. उक्त शर्तो के अतिरिक्त सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमो की शर्ते व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड़

15. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध मे कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय मे उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय मे लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किये जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नही हो।
16. मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त परियोजनार्थ कोंई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेगी।
17. इस निविदा के सम्बन्ध मे अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध को शर्तो की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, कोटपूतली–बहरोड का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा।
18. लगातार सात कार्य दिवसो पर लापरवाही अथवा कार्मिक उपलब्ध नही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं कार्य प्रतिभूति राषि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी तथा उसकी जोखिम पर सफल निविदादाता की दरो पर कार्य अन्य संस्था (प्राथमिकता के आधार पर निविदा में द्वितीय स्थान अथवा तृतीय स्थान पर रही फर्म/संवेदक की सहमति पर) से क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. कोटपूतली–बहरोड की स्वीकृति से करवाया जा सकेगा।
19. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार कोटपूतली–बहरोड होगा।
20. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त राजस्थान सरकार के नियमानुसार समय–समय पर जारी की जाने वाली अन्य शर्ते मान्य होगी।
21. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी को होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नामः ....

पताः ....

क्षेत्रीय अधिकारी
राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपुतली–बहरोड़

सफाई कर्मचारी (अंषकालीन) का कार्य सम्पादन करने हेतु कार्य की शर्ते

1. सफाई कार्मिक को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। सामान्यतः सफाई कर्मचारी (अंषकालीन) द्वारा कार्यालय खुलने के समय से पूर्व कार्यालय की साफ–सफाई किया जाना होगा।
2. किसी भी सफाई कार्मिक के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य सफाई कार्मिक को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।
3. कार्यालय सफाई हेतु आवष्यक सामग्री उपापन संस्था द्वारा ही उपलब्ध करवाई जावेगी। जिसका लेखा–जोखा निविदादाता को रखना होगा एवं पूर्व में उपलब्ध करवाई गई सामग्री के उपयोग का पूर्ण विवरण कार्यालय को दिये जाने पर ही नवीन सामग्री कार्य प्रयोजनार्थ दी जावेगी। दी गई सामग्री में किसी भी प्रकार की कमी–बेषी की सम्पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता की रहेगी।
4. निविदादाता के सफाई कार्मिक की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
5. सफाई कार्मिक के ड्यूटी पर आने जाने व ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी तरह की घटना–दुर्घटना होने पर समस्त जिम्मेदार निविदादाता की होगी।
6. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
7. सफाई कार्मिक का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर क्षेत्रीय अधिकारी के निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
8. सफाई कर्मचारी (अंषकालीन) को इस प्रयोजनार्थ लिये जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
9. सफल बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करों के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
10. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये सभी कर्मियों के साथ घटित किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये मण्डल उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
11. किसी भी प्रकार की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड़

12. किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. कोटपूतली–बहरोड के पास सुरक्षित रहेगा।
13. सफाई कार्मिक घटाने/बढ़ाने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. कोटपूतली–बहरोड के पास सुरक्षित रहेगा।
14. राज्य सरकार द्वारा सफाई कार्मिक के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होगे।
15. सफाई कार्मिक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई. डी., आयु प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
16. क्षेत्रीय अधिकारी या उनकी ओर से अधिकृत अधिकारी किसी भी समय सफाई कार्य का निरीक्षण कर सकता है।
17. किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म. कोटपूतली–बहरोड का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा। सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र, कोटपूतली–बहरोड न्यायालय ही रहेगा।
18. क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में एकत्रित कचरे को किसी भी स्थिति में परिसर में नही जलाया जायेगा। शर्त का उल्लंघन दण्डनीय होगा। यदि फर्म/ठेकेदार के सफाई कार्मिक कार्य के दौरान कार्यालय की किसी चल / अचल सम्पति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी वसूली ठेकेदार के बिल / प्रतिभूति राषि से की जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...

क्षेत्रीय अधिकारी
रा0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड़

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, कोटपूतली–बहरोड़
Rajasthan State Pollution Control Board, Kotputli-Behror
(Regional Office)

प्रयोगशाला परिचारक की कार्य सम्पादन हेतु सामान्य शर्तें

1. **किसी भी प्रयोगशाला परिचारक के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य प्रयोगशाला परिचारक को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा, अन्यथा प्रतिदिन 200 रूपये प्रति प्रयोगशाला परिचारक की दर से शास्ती वसूल की जावेगी जिसे सेवाप्रदाता का स्वयं वहन करना होगा।**
2. **निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।**
3. **निविदादाता के प्रयोगशाला परिचारक की डयूटी समय में कार्य के दौरान किसी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।**
4. **प्रयोगशाला परिचारक का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर निर्देशानुसार कर्मचारी बदलना होगा।**
5. **प्रयोगशाला परिचारक के आवष्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी, आयु प्रमाण पत्र प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने होगे।**
6. **प्रयोगशाला परिचारक को रखे जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण एंव चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस वैरीफिकेशन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।**
7. **किसी भी प्रकार का विवाद में क्षेत्रिय अधिकारी राप्रनिम** कोटपूतली–बहरोड **का निर्णय ही अन्तिम मान्य होगा।**
8. **राज्य सरकार द्वारा प्रयोगशाला परिचारक के सम्बन्ध में समय समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होंगे।**
9. **सर्वेदक द्वारा अयोग्य एंव अवयस्क व्यक्तियों को जोब पर नही लगाया जावेंगा, उपलब्ध कराये गये कार्मिक के कम में सेवाप्रदाता पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा। कार्मिकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी।**
10. **सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा जोब बेसिस पर उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा अनुबन्ध की समाप्ति होते ही कार्मिकों की कार्य अवधि स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।**
11. **किसी भी विवाद में क्षेत्रिय अधिकारी राप्रनिम** कोटपूतली–बहरोड **का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।**

दिनांक

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड़

पता : लक्ष्मी नारायण दुर्गा जी मंदिर के पास, एन.एच.–48, नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड–3017..
Email:- rorpcb.bkt@gmail.com Website : www.environment.rajasthan.gov.in

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, कोटपूतली–बहरोड़
Rajasthan State Pollution Control Board, Kotputli-Behror
(Regional Office)

क्षेत्र सहायक की कार्य सम्पादन हेतु सामान्य शर्तें

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, के राष्ट्रीय परिवेषीय वायु गुणवता प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme कोटपूतली–बहरोड स्थित स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों से प्राप्त वायु नमूनों का विश्लेषण संबधित कार्य करना ।

2. क्षेत्र सहायक (Field Assistant) / कर्मी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/ सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है ।

3. क्षेत्र सहायक को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिये अलग से कोई भुगतान नही किया जावेगा।

4. किसी भी क्षेत्र सहायक के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य क्षेत्र सहायक को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा, अन्यथा प्रतिदिन 200 रूपये क्षेत्र सहायक की दर से शास्ती वसूल की जावेगी जिसे सेवाप्रदाता का स्वयं वहन करना होगा।

5.क्षेत्र सहायक का कार्य कुषल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर निर्देशानुसार कर्मचारी बदलना होगा।

6. क्षेत्र सहायक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी, आयु प्रमाण पत्र प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने होगे।

7. क्षेत्र सहायक को रखे जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण एंव चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस वैरीफिकेशन कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

8.राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र सहायक के सम्बन्ध में समय समय पर जारी आदेश / नियम निविदादाता को मान्य होंगे।

9.सर्वेदक द्वारा अयोग्य एंव अवयस्क व्यक्तियों को जोब पर नही लगाया जावेंगा, उपलब्ध कराये गये कार्मिक के कम में सेवाप्रदाता पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा। कार्मिकों की न्यूनतम आयु 18 एंव अधिकतम 50 वर्ष होगी।

10. किसी भी विवाद में क्षेत्रिय अधिकारी राप्रनिम कोटपूतली–बहरोड का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

दिनांक

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...

क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड

पता : लक्ष्मी नारायण दुर्गा जी मंदिर के पास, एन.एच.–48, नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड–301705
Email:- rorpcb.bkt@gmail.com Website : www.environment.rajasthan.gov.in

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person Participating in a procurement process shall –

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation ;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process ;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or in directly, to any party or to its property to influence the procurement process ;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclosed any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity;

Conflict of interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A. Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली-बहरोड़

a. have controlling partners/ shareholders in common, or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder; or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process participation by a Bidder in more then one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Good, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer – in – charge / consultant for the contract.

क्षेत्रीय अधिकारी
राज० राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड़

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid Submitted to..for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated.............................. I/We hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act .2012, that:

1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Ac, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:.................... Signature of bidder

Palace:.................. Name:.......................................

Designation:................................

Address:....................................

क्षेत्रीय अधिकारी
रा० राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड़

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **Member Secretary,RSPCB Jaipur**

The designation and address of the Second Appellate Authority is **Chairperson, RSPCB Jaipur**

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved;

Provided that after the declaration of a Bidder successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding;

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases.

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidder in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality;

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
कोटपूतली-बहरोड़

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non – refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the may be, upon filing of appeal shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fixed date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall;

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter;

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of document and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority Concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड़

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No …………………

of………………………………………………………………………………………………………
…..

Before the ……………………………………………………………………………… (First /Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellate:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
   (i)

   (ii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative;
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
   ………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………
   ……

   (Supported by an affidavit)

7. Prayer:
   ………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………
   ………

Place:………………

Date:………………

Appellant's Signature

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड़

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid this substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids of the following basis :

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount is words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unite prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of the contract.

(ii) If the Procuring Entity Does not procure any subject matter of procurement or procures less then the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional

क्षेत्रीय अधिकारी
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली-बहरोड़

quantity shall not be more then 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more then one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

क्षेत्रीय अधिकारी
राज० राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटपूतली–बहरोड़